


(21)

माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प रीवा (म0 प्र0)



RS-301

R5033-II/17

1. विष्णु बहादुर सिंह तनय भैया लाल सिंह उम्र 57 वर्ष
2. राघवेन्द्र सिंह तनय भैया लाल सिंह उम्र 53 वर्ष
3. मुस0 जयराजू देवी बेवा पत्नी स्व0 भैया लाल सिंह उम्र 82 वर्ष
सभी निवासी ग्राम करौदिया उत्तर टोला तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म0 प्र0)

.....आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

बनाम

कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकीय रीवा सम्भाग जिला सीधी (म0 प्र0)
म0 प्र0 शासन

.....अनावेदकगण/गैर निगरानीकर्तागण

द्वितीय अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा सम्भाग रीवा लिंक कोर्ट सीधी जिला सीधी (पीठासीन अधिकारी श्री के0 पी0 राही) के राजस्व प्र0क्र0 /301/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2016 जिसके द्वारा ~~निरस्त~~ अवैधानिक व विधि विरुद्ध तरीके से प्रथम अपील निरस्त की गई है।

द्वितीय अपील अर्न्तगत धारा 44 (2) म0 प्र0 भू0 राजस्व संहिता 1959।

मान्यवर ,

अपीलार्थीगण की ओर से निम्नलिखित द्वितीय अपील प्रस्तुत है :-

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य

22
25-1-17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०R.5033-II/17

जिला-सीधी

विष्णु बहादुर सिंह/कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यंत्रिकी रीवा

(1)	(2)	(3)
22.08.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	